फर्द अहकाम

...प्रकाश बनाम नानूराम व अन्य

लय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय, सांगानेर

168/2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
21/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 बावजूद तामील सूचना अनुपस्थित। वकील प्रार्थी की प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रा०पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। पत्रावली, राजस्व रिकार्ड, प्रा०पत्र 212 का आद्योपान्त अवलोकन करने व वकील प्रार्थी की बहस का मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि वादग्रस्त आराजियात जमाबन्दी संवत् 2074-2077 वाके ग्राम केशोपुरा तहसील सांगानेर के ख०न० 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 597, 598, 599, 600 कुल किता 13 कुल रकबा 2.55 है० के वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 खातेदार काश्तकार दर्ज है। जिसमे प्रत्येक वादीगण का 1/85 हिस्सा नियत है तथा प्रतिवादी सं. 1 का 1/85 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 2 का 66/85 हिस्सा एवम् प्रतिवादी संख्या 3 का 14/15 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। चूंकि वादीगण ने वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 RTA का प्रस्तुत किया जिसका निर्णय साक्ष्य, सबूत व दस्तावेजात के आधार पर निस्तारण किया जावे। अतः उभयपक्षों को दावे का फैसला होने तक स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है आराजी ख०न० 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 597, 598, 599, 600 कुल किता-13 कुल रकबा 2.55 है० वाके ग्राम केशोपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर के मौके की यथास्थिति बनाये। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील मुल वाद के साथ संलग्न हो। सुनाया गया।	

उप-खण्ड अधिकारी,
जयपुर (द्वितीय)